

Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post /द्वि-डक)

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOPbZn /5/2023--AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 20/09 /2023

प्रेषित: Agent, Kayad Lead- Zinc Mines
M/s Hindustan Zinc Ltd.
Village & Post Kayad,
District Ajmer (Rajasthan)- 305023.
(e-mail: kastoor.meena@vedanta.co.in, siyaram.meena@vedanta.co.in)

विषय- राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित आपकी कायड लेड जिंक खान क्षेत्रफल 480.45 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन ।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 05/09 /2023 by undersign in presence of Shri Siya Ram Meena, Mines Manager.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operation has not been carried out in accordance to the Modified Review of Mining Plan for the year 2022-23 as given below:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. During the year 2022-23 exploration was proposed by drilling of 190 bore holes(55000m) but during the above referred period total 181 bore holes with total meterage of 74956 m were drilled. This is a deviation of approved document. 2. During the inspection it has been observed that stoping operations in S1 block were not carried out as per proposals for the year 2022-23. 3. It was proposed to mine out 7,48,456 tones of ROM from the mine during the year 2022-23. But as per annual return submitted the quantity or ROM excavated during the year is 6,57,185 tones, which is below the proposed ROM production.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली ,2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिषीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला- अजमेर।
4. रक्षित पत्रावली ।

